न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–127/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/127)

1. दिलीपसिंह पुत्र स्व0 ईश्वरसिंह
2. रामसिंह पुत्र स्व0 ईश्वरसिंह (मृतक) जरिए वारिसानः–
   2/1 पुष्पाकंवर बैवा रामसिंह
   2/2 राजेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह (मृतक)
   2/2/1 नरेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह
   2/4 विष्णुकंवर पुत्री रामसिंह
3. प्रेमकंवर पुत्री स्व0 ईश्वरसिंह
4. भंवरी पुत्री स्व0 ईश्वरसिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. रणजीतसिंह पुत्र मूलसिंह दत्तक पुत्र स्व0 ईसरसिंह उर्फ ईश्वरसिंह
2. भंवर कंवर पत्नि मूलसिंह
3. मनोज कंवर पत्नि रणजीतसिंह
4. मरूधरकंवर पत्नि गोपाल
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर।
6. उप–पंजीयक अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलक्टर(मु.), अजमेर द्वारा दिनांक 03.06.2024 राजस्व वाद संख्या 105/2023 बउनवानी दिलीपसिंह व अन्य बनाम रणजीतसिंह व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थितः–

1. श्री, आशीष जैन, अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री, मदनपुरी गोस्वामी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01.
3. श्री, विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6.
4. रेस्पोडेंट संख्या 2, 3 व 4 अनुपरिथत.

निर्णय

दिनांकः– 20.12.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु.),अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 105/2023 में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट के विरूद्ध सहायक कलक्टर(मु), अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि ग्राम चाचियावास पटवार हल्का चाचियावास भू.अ.निरीक्षक माकडवाली तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है। उक्त विवादित आराजीयात का विवरण वाद-पत्र में दर्ज किया गया है के बाबत प्रस्तुत कर वाद-पत्र को डिक्री करने का निवेदन किया। अपील के विचाराधीन रहते हुए प्रतिवादी/रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 डी जा0दी0 का प्रस्तुत कर वाद-पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। जिस पर परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना-पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 3.6.2024 के द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस के वाद-पत्र को खारिज फरमाने का आदेश पारित कर दिया। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 105/2023 में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 2, 3 व 4 बावजूद सूचना के भी अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादीगण/अपीलांट का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है अपितु मामले का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए था जिसके विषय में काफी सारे मामलों में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेकोनेक निर्णय पारित कर सिद्धांत प्रतिपादित किया है ऐसी स्थिति में भी पारित निर्णय अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। सहायक कलक्टर, अजमेर ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि नामांतकरण संख्या 45 जिसको दिनांक 14.11.1977 प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में दत्तक पुत्र की हैसियत से तस्दीक किया गया है जबकि ईश्वरसिंह के जायंदा दो पुत्र और दो पुत्रियां होने के बावजूद भी उनका नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं किया गया जो इस बात की ताईद करता है कि तथ्यों को राजस्व ऐजेन्सी के समक्ष छुपाकर उक्त नामांतकरण तस्दीक करवाया गया है परंतु आज इस दावे के माध्यम से विवादित आराजीयात में वादीगण/अपीलांटस का जो विधिक हिस्सा बनता है वह उसे घोषणा खातेदारी के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी है परंतु परीक्षण न्यायालय आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में प्रावधित प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। सहायक कलक्टर, अजमेर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अपने पिता की जायंदा वारिसान होने के बावजूद अपनी पैतृक सम्पत्ति से महरूम कर दिए गए वही प्रतिवादी संख्या 1 जिसकी उम्र नामांतकरण की कार्यवाही के समय 1 वर्ष से भी कम उम्र थी, को दत्तक पुत्र बनाकर नामांतकरण की कार्यवाही को प्रविष्टि कर दिया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

के छात्र रजिस्टर में भी रणजीत पुत्र मूलसिंह के नाम से दर्ज रेकार्ड है तथा कार्यालय प्रधानाचार्य,राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय,अजमेर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दिनांक 16.10.2023 में भी रणजीतसिंह पुत्र मूलसिंह सन- 1992 से 1994 के बीच स्थानीय विद्यालय में अध्ययनरत रहे तथा इनका एस0आर0नम्बर 11604 व जन्म तिथि 30.07.1977 विद्यालय रिकार्ड के अनुसार बताई गई है, इसलिए रेकार्ड में इंद्राज दुरूस्ती के आधार पर रेकार्ड में परिवर्तन करते हुए सही दर्ज करना चाहिए जो आवश्यक है। जिस दिनांक को नामांतकरण की कार्यवाही की गई उस समय प्रतिवादी की उम्र 1 वर्ष से भी कम थी ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वारा न तो मेरे पिता की सेवा देखभाल कर सकता था और ना ही मेरे पिता की किसी प्रकार से हाथ बंटा सकता था इसलिए ऐसा कोई आधार प्रतीत नहीं होता है कि मेरे पिता द्वारा अपने चार पुत्र व पुत्रियां होने के बावजूद किसी ओर को दत्तक पुत्र बनाने की आवश्यकता महसूस हो इसलिए जो नाम प्रविष्ठ किया गया है वह राजस्व रेकार्ड में हैराफेरी व गलत एवं विधि होने से निरस्त किए जाने योग्य था इसके बावजूद भी परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भूल की है। वादी एक सामाजिक एवं पारिवारिक रिश्तेदारी में होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध आज दिनांक तक इन्होने इसके विरूद्ध कोई फौजदारी कार्यवाही नहीं की चूंकि प्रतिवादी भी उनके दूर के दादाजी के परिवार में होने के आधार पर जब उस के द्वारा बार–बार आश्वासन दिया जाता रहा है कि उसके नाम गलत प्रविष्ठि हो गई है तथा वह आराजीयात को वापस लौटा देगा तो इन्होंने इस बात को मान लिया तथा आज उसने आराजीयात को बदनियती के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के नाम स्थानान्तरण करा दी इस तथ्य को भी नजरअंदाज कर परीक्षण न्यायालय ने निर्णय पारित करने में भूल की है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 105/2023 में पारित आदेश दिनांक 03.06.2024 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– 2016(1) आरआरटी पेज 674, 707, 2018(2) आरआरटी पेज 1425, 2015(2) आरआरटी पेज 1268, 2019 आर0बी0जे पेज 393, 2018 आर0बी0जे पेज 376.

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि वादीगण ने वाद–पत्र में मूलतः नामांतकरण दिनांक 14.11.1977 बाबत उज्र उठाए है परंतु उक्त नामांतकरण की संख्या का वाद में कहीं उल्लेख नहीं किया है इसके साथ ही पैरा संख्या 4 में दिखाया गया सजरा उनवान के साथ मिलान नहीं खाता। वादीगण ने वाद–पत्र में मुख्य रूप से प्रतिवादी संख्या 1 को फर्जी दत्तक पुत्र होना बताया है एवं फर्जी साबित करने का प्रयास भी किया है जबकि वाद उदघोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का है। वादी संपूर्ण आराजीयात का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहता है। दत्तक पुत्र होने से दिनांक 14.11.1977 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में नामांतकरण खुला जिस पर 46 वर्ष का समय बीतने के बाद आपत्ति दर्ज की गई है। इस नामांतरकरण को वादी निरस्त करवाना चाहता है जबकि न तो किसी विशिष्ट जमाबंदी का उल्लेख है न ही तुलनात्मक जमाबंदीयां का उल्लेख किया है। एक ओर तो

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

वादी दत्तक पुत्र को फर्जी होना बता रहा है दूसरी ओर दत्तक पुत्र की प्रविष्टि को स्वीकार करते हुए 2008 में इसी आराजीयात का एक हिस्सा खरीदा है ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 डी के अनुसार विधि द्वारा वर्जित होने से प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद को इस स्तर पर खारिज फरमाए जाने का अनुरोध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी. पी.सी. स्वीकार कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 डी के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र प्रथम दृष्टया विधि द्वारा वर्जित होने एवं क्षेत्राधिकार से बाधित होने से प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद को इसी स्तर पर खारिज किया। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादीगण/अपीलांटस ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट के विरूद्ध सहायक कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि ग्राम चाचियावास पटवार हल्का चाचियावास भू0अ0नि माकडवाली तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है,उक्त विवादित आराजीयात का विवरण वाद–पत्र में दर्ज किया गया है, वाद–पत्र अनुसार वाद को डिक्री किये जाने बाबत प्रस्तुत किया। दावे के विचाराधीन रहते हुए प्रतिवादी/रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रस्तुत कर वाद–पत्र को खारिज करने का अनुतोष चाहा। जिस पर परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना–पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 3.6.2024 के द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस के वाद–पत्र को खारिज करने का आदेश पारित कर दिया। पत्रावलियो का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि "वादी ने दावे में दत्तक पुत्र रणजीत सिंह को फर्जी बताया है एवं ईश्वरसिंह के वारिसान शांतिकंवर, रामसिंह, प्रेमकंवर, भंवरी एवं दिलीप सिंह को बताया है। वादी के वाद का अनुतोष इसी आधार पर टिका हुआ है कि ईश्वरसिंह का दत्तक पुत्र रणजीत सिंह फर्जी है या नहीं। अतः दत्तक पुत्र को फर्जी तय करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं है। इसका निर्णय सक्षम न्यायालय में ही किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 डी के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र प्रथम दृष्टया विधि द्वारा वर्जित होने एवं क्षेत्राधिकार से बाधित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।" उक्त निर्णय पर अपीलांट द्वारा आक्षेप किया गया कि वादीगण/अपीलांट का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत तकनीकि आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। मामले का

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए था। जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया ऐसी स्थिति में पारित निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया कि ईश्वरसिंह के जायन्दा दो पुत्र-क्रमशः रामसिंह, दिलीप सिंह व दो पुत्रियां क्रमशः भवंरी, प्रेम कंवर होने के बावजूद भी उनका नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं किया गया, जब कि यह विधि का आज्ञापक सिद्धांत है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत् जायंदा(प्रथम) वारिसों को अपने पिता की संपत्ति से महरूम नहीं रखा जा सकता। ईश्वर सिंह के जायन्दा वारिसान होने के बावजूद नामांतकरण संख्या 45 जिसको दिनांक 14.11.1977 प्रतिवादी / रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में दत्तक पुत्र की हैसियत से तस्दीक किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में प्रतिवादी संख्या 1 राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक के छात्र रजिस्टर में रणजीत पुत्र मूलसिंह के नाम से दर्ज रिकार्ड है व कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र दिनांक 16.10.2023 में भी रणजीतसिंह पुत्र मूलसिंह वर्ष 1992 वे 1994 के बीच स्थानीय विद्यालय में अध्ययनरत रहे तथा इनका एस0आर0न0 1164 व जन्म दिनांक 30.7.1977 अंकित है। विवादित आराजीयात बाबत् नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 01 रणजीत के नाम तस्दीक किया गया है जबकि ईश्वरसिंह के जायन्दा वारिसान है जिनको हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 के तहत् उनको हक-अधिकारो से वंचित नहीं रखा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को अपने निर्णय में यह देखना चाहिए था कि वाद को आदेश 7 नियम 11 में किस आधार पर खारिज किया है आदेश 7 नियम 11 के आधार पर जाईन्दा वारिसों को अपने हक एवं अधिकारों से महरूम नहीं किया जा सकता। कृषि भूमि बाबत घोषणा के अधिकार बाद साक्ष्य व सुनवाई राजस्व न्यायालय में निहित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. में कथन किया गया है कि आधे व अधूरे सजरे एवं वंशावली को दर्शाया है जबकि वाद पत्र में वादी ने मुरजाद सिंह के वारिसान का सजरा अंकित किया हुआ है तथा प्रार्थना-पत्र में यह भी अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 1686 रकबा 0.07 है0 का सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तन किया जा चुका है तथा उक्त आराजीयात वर्तमान में कृषि आराजीयात नहीं होकर गैर कृषि आराजीयात के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। विवादित आराजी का आंशिक हिस्सा ही सम्परिवर्तन किया गया है शेष भूमि कृषि भूमि है। इस प्रकार प्रार्थना-पत्र में जो कारण दर्शाये गये है वह विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 7 नियम 11 का निर्णय करते समय वाद में विवादित बिंदु तथ्य एवं विधि का संयुक्त प्रश्न है तब वाद का निस्तारण तनकी बनाकर व साक्ष्य लेकर किया जाना चाहिए था उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह अवधारित किया जाता है जो विधि सम्मत एवं न्यायोचित नहीं है। गोदपुत्र एवं जायंदा संतानो के विवादित आराजियात में क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इस संबंध में विचारण न्यायालय को जवाब प्राप्त कर तनकी कायम कर उभयपक्ष से साक्ष्य एवं सबूत प्राप्त कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु विचारण न्यायालय ने मात्र गोदपुत्र की वैधानिकता के आधार पर खातेदार के जायंदा पुत्रों द्वारा प्रस्तुत वाद को केवल इस आधार पर खारिज किया है कि गोदनामे को निरस्त करने का विधिक अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। गोदपुत्र एवं जायंदा संतानों के विवादित आराजीयात में हक

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner

व हिस्से मूल वाद में जवाब, साक्ष्य, सुनवाई कर समुचित गुणावगुण पर परीक्षण किए जाने के उपरांत ही तय होंगे ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में मूल दावे को खारिज कर विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय को वाद का निस्तारण तकनीकी आधार पर करने के बजाय गुणावगुण पर करना चाहिये था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है । **अपीलांट ने अपने समर्थन में जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए है 2016(1) आरआरटी पेज 674, 707, 2018(2) आरआरटी पेज 1425, 2015(2) आरआरटी पेज 1268, 2019 आर0बी0जे पेज 393, 2018 आर0बी0जे पेज 376 वह वर्तमान प्रकरण पर पूर्णरूप से चस्पा होते है।**

ऐसी स्थिति में हम विचारण न्यायालय को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि मृतक खातेदार द्वारा गोदनामा निष्पादित करने के उपरांत जायंदा पुत्रों को विवादित आराजियात में क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इस बाबत् तनकी कायम कर, उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद में पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् निर्णय पारित करते ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 105/2023 में पारित आदेश दिनांक 03.06.2024 को निरस्त किया जाता है व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे उभयपक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उक्त प्रकरण में तनकीवार गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

20/12/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner